(पंजीकृत डाक से)

जिला कार्यालय
नारायणपुर

महत्वपूर्ण निर्देश

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, ब्लॉक–डी, दूसरी मंजिल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़–492002
फोन: 0771 – 2412840, 2413423, फैक्स: 0771 2412849 Email: dgm.cg@nic.in

क्रमांक/खनि 4/ न.क्र.2/2015 नया रायपुर, दिनांक 18 FEB 2015

प्रति,

कलेक्टर,
जिला– नारायणपुर
छत्तीसगढ़

विषयः जिले अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों की रायल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट विषयक्।

संदर्भः 1. खनिज साधन विभाग का परिपत्र कमांक 1399, दिनांक 18.10.2001.
2. अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 351/1531/3–5/(IV)/02, दिनांक 28.12.2002.
3. खनिज साधन विभाग का परिपत्र कमांक एफ.7–6/2004/12, दिनांक 06.03.2004

---00---

शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्थानीय निकाय संस्थानों द्वारा संचालित निर्माण कार्यों में संबंधित ठेकेदार/एजेंसी के देयक भुगतान पूर्व, कार्य में प्रयुक्त गौण खनिजों की वैधता एवं रायल्टी भुगतान के संबंध में रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता संबंधी संदर्भित निर्देशों का अवलोकन करें। सुलभ संदर्भ हेतु प्रतियां संलग्न है।

रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की व्यवस्था गौण खनिजों में प्रभावी रायल्टी निर्धारण एवं वसूली के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बाबत समय–समय पर परिपत्रों के माध्यम से एवं बैठको में सतत् निर्देश जारी किये गयें है, तथापि यह पाया गया है कि निर्माण विभागों द्वारा अंतिम देयक भुगतान पूर्व रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की अनदेखी करते हुए, ठेकेदार/एजेंसी के देयक से रायल्टी मात्र काटकर खनिज विभाग को हस्तांतरित की जा रही है। विधिवत् रायल्टी क्लीयरेंस प्रकिया के अनुपालन नहीं किये जाने से, कार्य में प्रयुक्त खनिजों की वैध स्त्रोत से प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो पा रही है।

ततसंबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि शासन के संदर्भित परिपत्र दिनांक 06.03.2004 की कण्डिका 4 एवं 5 अनुसार शासकीय निर्माण विभाग द्वारा उसी स्थिति में कार्य में प्रयुक्त खनिज मात्रा पर खनिज विभाग में हस्तांतरित रॉयल्टी मान्य होगा तब जबकि खनिज का प्रदाय संबंधित निर्माण विभाग को आरक्षित खानों से हुआ हो। निर्माण विभागों को यह भी निर्देश प्रसारित किये जावें कि ठेकेदार के अंतिम देयक में कम से कम कार्य में प्रयुक्त कुल गौण खनिज मात्रा के बाजार मूल्य (रॉयल्टी आदि कर सहित) के समतुल्य राशि रखी जावे, ताकि रॉयल्टी क्लीयरेंस हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में शासन को राजस्व की कोई हानि न हो।

क्रमांक 1166
दिनांक 24/2/15

पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय/अर्धशासकीय निर्माण विभाग प्रमुख से कार्य विशेष में प्रयुक्त गौण खनिज मात्रा की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक जांच एवं कार्यवाही उपरान्त संबंधित निर्माण विभाग को अधिकतम एक माह के अंदर कार्य विशेष हेतु रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जारी किये जावें। रायल्टी भुगतान सत्यापन परीक्षण में यदि किसी खनिज मात्रा के रायल्टी भुगतान विषयक विहित दस्तावेज यथा अभिवहन पारपत्र (ट्रांजिट पास) इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये जाते है, उक्त स्थिति में उक्त मात्रा को अवैध स्त्रोतों से प्राप्त कर उपयोग किया जाना मानते हुये, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (5) के तहत कार्यवाही करते हुए रायल्टी एवं बाजार मूल्य वसूली उपरान्त ही रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें। बिना ट्रांजिट पास प्रदाय मात्रा पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही के विपरीत स्थिति पाये जाने पर संबंधित खनि अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कार्य विशेष हेतु निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में कोई राशि खनिज मद में हस्तांतरित की गई हो एवं रायल्टी क्लीयरेंस जांच में कोई राशि लेना शेष न हो तो निर्माण विभाग से प्राप्त उक्त राशि को संबंधित ठेकेदार को नियमानुसार वापस किया जावे।

उपरोक्तानुसार आपके जिले में संचालित निर्माण कार्यो में संलग्न ठेकेदारो/एजेंसियो के अंतिम देयक भुगतान पूर्व रायल्टी क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु समस्त संबंधित निर्माण विभागो को पुनः सख्त निर्देश जारी करते हुये, कृपया इसका पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार 8 पृष्ठ।

16/02/15
संचालक
भौमिकी एवं खनिकर्म

प्रतिलिपिः—

पृ.क्र. 1329-30 /खनि 4/ न.क्र.2/2015 नया रायपुर, दिनांक 18 FEB 2015

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर। प्रति गार्ड फाईल हेतु।

संचालक
भौमिकी एवं खनिकर्म